



ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ
KHWAJA MOINUDDIN CHISHTI URDU, ARABI-FARSI UNIVERSITY, LUCKNOW


संख्या : 638 /उअफाविवि/कुसका/ई-टेण्डर/2019
दिनांक : 27 जून, 2019


कुटेशन आमंत्रण

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ में आगामी शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए विश्वविद्यालय परिसर में स्थिति पुरुष एवं महिला छात्रावास मेस के संचालन हेतु फर्म/ठेकेदार का चयन किये जाने हेतु कुटेशन आमंत्रित किया जाना है।

इच्छुक फर्म/ठेकेदार विश्वविद्यालय में पुरुष एवं महिला छात्रावास मेस के संचालन हेतु कुटेशन दिनांक 27-06-2019 की अपरान्ह 03:00 बजे तक कुलसचिव कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही कुटेशन प्रेषित किये जाने से पूर्व उपरोक्तानुसार चिन्हित स्थान का स्थलीय निरीक्षण भी किया जा सकता है।

उक्त के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय की वेबसाइट- www.uafulucknow.ac.in से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव।



कार्य की व्यापकता, निर्धारित भोजन दरें हेतु कुटेशन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित पुरुष एवं महिला छात्रावास के आन्तरिक रखरखाव एवं भोजन प्रबंधन हेतु इच्छुक फर्म/ठेकेदारों से एक वर्ष के अनुबन्ध हेतु कुटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। अतः जिन फर्म/ठेकेदारों के पास न्यूनतम दो वर्ष का गेस्ट हाउस/छात्रावास में कार्य करने का अनुभव हो तथा जिनके पास आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नं० (PAN No.) हो वे उक्त संदर्भ में विश्वविद्यालय की वेबसाइट- www.uafulucknow.ac.in से जानकारी प्राप्त कर कुटेशन प्रेषित करेंगे। अनुभव एवं पैन नं० के बिना कुटेशन स्वीकार नहीं की जावेगी।

कार्य की व्यापकता (Scope of Work):- महिला एवं पुरुष छात्रावास के रसोई, डाइनिंग हॉल एवं भोजन इत्यादि से संबंधित सभी प्रकार के कार्य एवं आन्तरिक रखरखाव।

निर्धारित भोजन दरें :- *300 छात्र/छात्राएं (छात्र/छात्राओं की संख्या घट-बढ़ सकती है)।

दिन	सुबह	दोपहर	रात	दर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह
सोमवार	02 कचौड़ी, चटनी, चाय	दाल, चावल, रोटी, मौसमी सब्जी/आलू शिमला	दाल, चावल, रोटी, मौसमी सब्जी- हरी, सलाद	
मंगलवार	सूजी का हलवा, चना, चाय	दाल, चावल, रोटी, मौसमी सब्जी-हरी	दाल, चावल, रोटी, मौसमी सब्जी/आलू परवल, सलाद	
बुधवार	बन्द आमलेट, या बन्द बटर, चाय	दाल, चावल, रोटी, मौसमी सब्जी/आलू पालक	जीरा राईस, रोटी, चिकन-02 पीस, मटर पनीर या पालक पनीर	
बृहस्पतिवार	दलिया, चना, चाय	दाल, चावल, रोटी, मौसमी सब्जी/आलू सेम	दाल, चावल, रोटी, मौसमी सब्जी/आलू बीन्स	
शुक्रवार	02 कचौड़ी, चटनी, चाय	वेज बिरयानी, या चिकन बिरयानी 2 पीस, रायता बूंदी या खीरा	दाल, चावल, रोटी, सब्जी-मिक्स वेज बीन्स	
शनिवार	02 आलू पराठा, चटनी, चाय	चावल, कढ़ी, दम आलू, रोटी	दाल, चावल, रोटी, मौसमी मौसमी सब्जी/कोफ्ता	
इतवार	02 भटूरा, छोला, चाय	तहरी, रायता-बूंदी या खीरा	चिकन-02 पीस, मटर पनीर, दाल, रोटी, जीरा राईस, खीर या रसगुल्ला या फूट चाट	
नाश्ता-टाईम	8.00-9.30 तक	शाम की चाय 6.00-6.30 तक		
दोपहर-लंच टाईम	01.00-2.30 तक			
रात-डिनर टाईम	8.00-9.30 तक			




नियम व शर्तें :-

Annexure-II

1. अनुबन्ध की अवधि कार्यादेश जारी करने की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी। कार्य सन्तोषजनक रहने पर समयावधि आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। यदि कार्य सन्तोषजनक नहीं रहा तो अनुबन्ध को समय से पूर्व भी निरस्त किया जा सकता है।
2. सफल फर्म/ठेकेदार को कार्य आदेश से पूर्व संस्थान में वित्त अधिकारी, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ के नाम रु020,000/- की जमानत धनराशि (Security Money) जमा करनी होगी। उसके बाद ही कार्य आदेश दिया जावेगा।
3. फर्म/ठेकेदार द्वारा बैंक खाता संबंधी विवरण भी अंकित किया जाना चाहिए।
4. फर्म/ठेकेदार को न्यूनतम 02 वर्ष का गेस्ट हाउस/छात्रावास में सम्बन्धित कार्य का अनुभव होना चाहिए। इस हेतु अनुभव प्रमाण पत्र कुटेशन के साथ संलग्न करना होगा।
5. फर्म/ठेकेदार को आयकर विभाग द्वारा जारी PAN No. की फोटोप्रति कुटेशन के साथ संलग्न करनी होगी।
6. फर्म/फर्म मालिक के पते सम्बन्धी सरकारी दस्तावेज (आधार कार्ड/बिजली का बिल/रजिस्ट्रेशन) की फोटोप्रति कुटेशन के साथ संलग्न करनी होगी।
7. कम से कम दो राजपत्रित अधिकारियों/सरपंच/पार्षद से अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
8. फर्म/ठेकेदार का जी0एस0टी0 में पंजीयन होना अनिवार्य है।
9. फर्म/ठेकेदार के द्वारा उक्त अनुबन्ध एवं अवधि के लिए आवश्यक लाइसेंस (लेबर एवं इस अनुबन्ध एवं खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने (FSSAI) संबंधित) प्राप्त किया जाना चाहिए।
10. ठेके से सम्बन्धित कार्य करवाने के लिए उपलब्ध करवाये जाने वाले सहायक/श्रमिकों का चरित्र उत्तम होना चाहिए।
11. छात्रावासों में समय-समय पर होने वाले समारोहों, बैठकों में बाहर से आने वाले विशिष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों/व्यक्तियों के लिये चाय पानी, भोजन बनाना एवं परोसना व इससे सम्बन्धित अन्य सभी कार्य करने होंगे।
12. अनुबन्ध की अवधि में फर्म/ठेकेदार/उसके प्रतिनिधि/सहायक द्वारा छात्रावास के छात्र/छात्रों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है तो फर्म/ठेकेदार के बिल में वसूली की जायेगी।
13. फर्म/ठेकेदार को प्रचलित श्रमिक कानूनों का पूर्णतया पालन करना होगा एवं उनके भुगतान का पूर्ण उत्तरदायित्व भी स्वयं फर्म/ठेकेदार का होगा। किसी भी श्रमिक द्वारा कोई भी वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा निर्धारित पूर्ण भुगतान तथा क्षतिपूर्ति की पूर्ण जिम्मेदारी भी स्वयं फर्म/ठेकेदार की होगी एवं बाल श्रमिक कानूनों का भी पूर्णतया पालन करना होगा।
14. फर्म/ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि/श्रमिकों द्वारा संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा, नुकसान होने की अवस्था में उसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं फर्म/ठेकेदार की होगी। साथ ही बाहर से आने वाले मेहमान, विशिष्ट अधिकारियों व संस्थान के सभी अधिकारी/कर्मचारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
15. फर्म/ठेकेदार को उनके द्वारा कार्य पर लगाये जाने वाले सहायकों/श्रमिकों का अभिलेख/रजिस्टर स्वयं को रखना होगा तथा सक्षम अधिकारी के द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा। श्रमिकों को भुगतान केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जो भी अधिक हो, निर्धारित दर, नियम व शर्तों के अनुसार करना होगा। साथ ही साथ फर्म/ठेकेदार द्वारा सभी श्रमिक कानूनों का पालन किया जाना चाहिए।
16. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी एक अथवा सभी कुटेशन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
17. सम्पूर्ण स्थल की साफ-सफाई (झाड़ू-पौछे के अतिरिक्त) की जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी यथा- रसोई, डाइनिंग हॉल एवं भोजन इत्यादि।
18. डाइनिंग टेबल, फर्नीचर इत्यादि की साफ-सफाई की जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।
19. बिजली-पानी इत्यादि की व्यवस्था तथा व्यवधान होने पर प्रभारी तुरन्त सूचित करना होगा।
20. फर्म/ठेकेदार द्वारा ठेका अवधि के दौरान शुद्ध व उच्च गुणवत्ता का खाना उपलब्ध करवाना। गुणवत्ता की पुष्टि के लिए विश्वविद्यालय की समिति समय-समय पर जांच करेगी।
21. किसी प्रकार की सशर्त कुटेशन स्वीकार नहीं की जायेगी।
22. दरे सीलबन्द लिफाफों में कुलसचिव कार्यालय, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, सीतापुर-हरदोई बाईपास रोड, लखनऊ में उपलब्ध करायी जायेगी।
23. यदि कुटेशन में किसी प्रकार की कोई कटिंग अथवा ओवर राइटिंग हो तो उसे सुस्पष्ट हस्ताक्षर सहित प्रमाणित किया जाये अन्यथा कुटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
24. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।
25. फर्म के लेटरहेड पर दिये जाने वाली दर पत्र पर अंकित होना/करना अनिवार्य है।
26. फर्म यदि कोई गलत या फर्जी सूचना किसी रूप में देती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

कुलसचिव।



क्र०सं०	संस्थान का नाम व पूर्ण पता	अवधि		टिप्पणी (यदि कोई हो)
		From	To	
1				
2				
3				

* उपर्युक्त अनुभव तथा अवधि हेतु कार्य-अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करें।

दिनांक:

हस्ताक्षर फर्म/ठेकेदार मय सील

हस्ताक्षरकर्ता का नाम:.....

फर्म का नाम:.....

मोबाइल नं.:.....

ई-मेल:.....



सर्टिफिकेट/अंडरटेकिंग (स्टाम्प पेपर)

यह प्रमाणित किया जाता है कि—

1. मैंने महिला एवं पुरुष छात्रावास के आंतरिक रखरखाव एवं भोजन प्रबंधन हेतु कुटेशन में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तें भली-भांति पढ़ ली हैं तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार हैं।
2. मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर विश्वविद्यालय के महिला एवं पुरुष छात्रावास से सम्बन्धित उपर्युक्त वर्णित कार्य को अनुबंध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में करने के लिए सहमत हूँ।
3. मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर उचित गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध कराऊंगा।
4. मैं यह वचन देता हूँ कि मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप नहीं करूंगा। विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से व्यवहार कुशल पूर्वक रखूंगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबंध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबंध को निरस्त किया जा सकता है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
5. मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त कुटेशन प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यों का पूर्ण ज्ञान अनुभव हैं।
6. मुझे या मेरी फर्म को किसी भी संस्था द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

दिनांक:

हस्ताक्षर फर्म/ठेकेदार मय सील

हस्ताक्षरकर्ता का नाम:.....

फर्म का नाम:.....

मोबाइल नं.:.....

ई-मेल:.....

